अनुसूची- एक खा

[देखें धारा 3]

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
1. **ऋण की स्वीकारोक्ति**- एक हजार रुपये से अधिक राशि या मूल्य के ऋण की- जो उस ऋण का साक्ष्य उपलब्ध करने के लिये किसी बही में (बैंकर की पास बुक से अन्यथा), या अलग कागज पर, जो साहूकार के पास छोड़ दिया गया हो, ऋणी द्वारा या उसकी तरफ से लिखा गया, या हस्ताक्षरित हो: परन्तु ऐसी स्वीकारोक्ति में ऋण की अदायगी का या व्याज की अदायगी का या किसी माल या अन्य सम्पत्ति देने का कोई इकरार न हो।	दस रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
2. एडमिनिस्ट्रेशन बांड - जिसमें इंडियन सक्सेशन अधिनियम, 1925 की धारा 291, 375 और 376 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 के अधीन दिये गये बांड भी शामिल हैं।	दो सौ रुपये अधिकतम मानते हुए बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
3. दत्तक पत्र - अर्थात् कोई विलेख (वसीयतनामे से अन्यथा) जिससे किसी दत्तक- ग्रहण को लेखबद्ध किया गया हो, या दत्तक लेने का अधिकार प्रदान किया गया हो, या प्रदान किया जाना अभिप्रेत हो।	एक सौ रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
4. शपथ पत्र - जिसमें, उन लोगों के मामले में अभिपुष्टि या घोषणा भी शामिल है जिनको शपथ के स्थान पर अभिपुष्टि करने या घोषणा करने की विधिक छूट है-	दस रुपये

मुक्तियाँ

शपथ पत्र या लिखित घोषणा, जब वह-

(क) इण्डियन आर्मी अधिनियम, 1950 एयर फोर्स अधिनियम, 1950 एवं नेवी अधिनियम, 1957 के अधीन भर्ती की शर्त के रूप में हो;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या दातव्य भत्ता पाने में सहायक होने मात्र के प्रयोजन से बनाया गया हो।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
5. करार या करार का ज्ञापन-	दस रुपये
(क) यदि वह किसी बिल आफ एक्सचेंज के विक्रय से सम्बन्धित हैं:	
(ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से सम्बन्धित है;	एक हजार रुपये से अधिक न होते हुये, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक बीस हजार रुपये या उसके भाग के लिये दस रुपये।
(ख-1) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित हैं जहाँ कब्जे का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर करार में दी गई प्रतिफल की रकम के आधे पर देय हो ।

गया हो :

परन्तु जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किया जाये, तब इस खण्ड के अधीन भुगतान किये गये ऐसे शुल्क जो खण्ड (ग) के अधीन देय शुल्क से अधिक हो, का समायोजन हस्तान्तरण-पत्र पर देय शुल्क के प्रति किया जायेगा।

(ख-2) यदि वह किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक- पृथक बेचा जायेगा।

वही शुल्क जो भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो।

स्पष्टीकरण

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

(1) पद 'भूमि' में वे वस्तुयें जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, भी सम्मिलित हैं;

(2) पद 'पट्टेदार' का तात्पर्य शाश्वतकाल के लिए या तीस वर्ष या उससे अधिक

की अवधि के लिए पट्टा धारक से होगा;

(3) पद 'भवन' का तात्पर्य किसी भवन जिसमें एक से अधिक फ्लैट या कार्यालय वास स्थान, या दोनों हैं, से होगा और पद "फ्लैट " का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, 1975 में उसके लिए दिया गया है।]

(ग) यदि उसके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है। — एक सौ रुपये

छूटें

करार या करार का ज्ञापन-

(क) निरस्त

(ख) जो किसी ऋण के लिये या उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को टेण्डर के रूप में दिया जाये।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
6. स्वत्व पत्रों का निक्षेप, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार- अर्थात् कोई ऐसा विलेख जिससे- (1) स्वत्व पत्रों या ऐसे विलेखों, जो किसी भी प्रकार की सम्पत्ति (विक्रेय ऋण-पत्रों को छोड़कर) पर स्वत्व का प्रमाण हो, या माना जा सकता हो के निक्षेप, या (2) चल सम्पत्ति की आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार प्रमाणित होता हो- जब ऐसा निक्षेप, आड़ या गिरवी, ऋण के रूप में दिये या दिये जाने वाले धन या किसी वर्तमान या भविष्यत देनदारी की	

अदायगी की जमानत के रूप में किया गया हो;	
(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, माँग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है;	
उधार या ऋण की रकम के प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए	बीस रुपये
स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित कोई कागजादि, टिप्पण या ज्ञापन या लेख चाहे हक-विलेखों के निक्षेप के प्रभावी होने के समय या उसके पूर्व या पश्चात् लिखे या बनाये गये हों और चाहे वह प्रथम उधार या किसी पश्यात्वर्ती उधार के संबंध में हो, ऐसे कागजादि टिप्पण, ज्ञापन या लेख को हक-विलेखों के निक्षेप के संबंध में किसी पृथक करार की अनुपस्थिति में, हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्य करने वाला लिखत समझा जायेगा।	
(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत के दिनांक से तीन मास से अधिक नहीं है।	शुल्क का आधा जो ऐसी प्रतिभूत राशि के लिये खण्ड (क) के अन्तर्गत उधार या ऋण पर लगता है।
मुक्ति	
कृषि उपज के आड़ या गिरवी का विलेख यदि असांक्षित हो।	[नोट- इस अनुच्छेद का शुल्क घटा दिया गया है देखें क्रमांक 106 परिशिष्ट दो]

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
7. किसी अधिकार के कार्यान्वयन में नियुक्ति - चाहे न्यासियों की हो या चल या अचल सम्पत्ति की, जो किसी लिखत द्वारा, जो वसीयत न हो, की जावे-	
(क) जब सम्पत्ति का मूल्य 1,000 रु० से पचास रुपये अधिक न हो;	पचास रुपये
(ख) अन्य किसी दशा में।	एक सौ रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
8. दशा या मूल्य आँकना - जब वह किसी वाद के दौरान, न्यायालय के आदेश से अन्यथा, किया जाये;	
(क) जब राशि 1,000 रु० से अधिक न हो;	उस राशि पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।
(ख) अन्य किसी दशा में।	1,000 रुपये पर बांड (क्रमांक (15) के समान शुल्क |

मुक्तियाँ

(क) जब दशा या मूल्य आँकने का कार्य केवल एक पक्ष की सूचना के लिये किया जाये जो किसी भी प्रकार पक्षकारों की सहमति से, या विधिक रूप से, पक्षकारों पर बाध्य न हो,

(ख) भू-स्वामी को दिये जाने वाले किराये की राशि को निश्चित करने के लिये फसल की दशा को आँकना।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
9. अप्रेन्टिसी पत्र- जिसमें वह प्रत्येक लिखत शामिल है जो किसी अप्रेन्टिस, क्लर्क या सेवक के, जो किसी शिक्षक के साथ कोई धन्धा, व्यापार या रोजगार सीखने के लिये लगाया जाये, सेवा या शिक्षण से सम्बन्धित हो और क्लर्कों का आर्टिकल (क्रमांक 11) न हो। **मुक्ति** अप्रेन्टिसी अधिनियम, 1850 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित अप्रेन्टिसी का विलेख, जिससे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक धर्मादे द्वारा या उसके खर्चे से अप्रेन्टिस बनाया जाये,	बीस रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
10. कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन, **मुक्ति** ऐसी कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन, जो लाभ के लिये न बनाई गई हो और इन्डियन कम्पनीज अधिनियम, 1913 के धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, [कम्पनी के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन (क्रमांक 39) भी देखें)	पाँच सौ रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
11. क्लर्की के आर्टिकल्स- या इकरार जिससे कोई व्यक्ति पहले क्लर्क के रूप में सेवा करेन के लिये प्रतिबन्धित होता है ताकि उसे किसी उच्च न्यायालय के एटर्नी के रूप में प्रवेश मिल सके। **अभ्यर्पण-** देखो हस्तान्तरण (क्रमांक 23), अन्तरण (क्रमांक 62), और लीज का अन्तरण (क्रमांक 63), जैसी भी स्थिति हो। **एटर्नी-** देखो एटर्नी की प्रविष्टि (क्रमांक 30) और मुख्तारनामा (क्रमांक 48)। **दत्तक ग्रहण का अधिकार-** देखो दत्तक-पत्र (क्रमांक 3)।	चार सौ रूपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
12. पंच फैसला अर्थात् किसी वाद के दौरान न्यायालय के आदेश से अन्यथा किसी सन्दर्भ में पंच या निर्णेता द्वारा किया गया लिखित निर्णय, जो विभाजन निदेशित न करता हो-	
(क) जब उस राशि या सम्पत्ति, जिससे फैसला सम्बन्धित है, का मूल्य 1,000 रुपये से अधिक न हो,	उस राशि पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क
(ख) यदि वह 1,000 रुपये से अधिक हो, तो प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या उसके भाग पर	दस रुपये
(ग) जब फैसले की विषयवस्तु मूल्यांकन के अयोग्य हो।	1,000 रुपये पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क

मुक्तियें

बम्बई डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल अधिनियम, 1901 की धारा 160, या बम्बई हेरेडिटरी औफिसेज अधिनियम, 1874 की धारा 18, या यू० पी० म्यूनिसिपिलिटीज अधिनियम, 1916 की धारा 324 (1) या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्स अधिनियम, 1922 की धारा 190 (1) के अधीन किये गये पंच फैसले ।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
12- का. बैंक गारण्टी- किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख-	[शुल्क घटा दिया गया है देखें परिशिष्ट दो क्रमांक 106]
प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए	पचास रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
15. बन्ध-पत्र (बांड) - जैसा कि धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर (सं० 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपलब्ध नहीं किया है-	
जहाँ कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 100 रुपये से अधिक नहीं है;	दस रुपये
जहाँ कि वह 100 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है;	सत्तर रुपये

और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या उसके भाग के लिये	सत्तर रुपये
देखो - एडमिनिस्ट्रेशन बांड (क्रमांक 2), वाटमरी बांड (क्रमांक 16), कस्टम बांड (क्रमांक26), क्षतिपूर्ति बांड (क्रमांक 34), रेस्पौन्डेशिया बांड (क्रमांक 56) और जमानती बांड (क्रमांक 57) ।	[इस अनुच्छेद की शुल्क की दरें घटाई गई है देखें परिशिष्ट दो क्रमांक 105]

मुक्तियाँ

बांड जिसका निष्पादन-

(क) बंगाल इरिगेशन अधिनियम, 1876 की धारा 99 के अनुसार बनाये गये नियमों के अधीन नामित मुखिया द्वारा, उस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिये किया गया हो,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारण्टी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र या चिकित्सालय या किसी अन्य सार्वजनिक नाम के कार्य के लिये निजी चन्दे से होने वाली आय एक निश्चित राशि प्रतिमास से कम न होगी।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
16. बाटमरी बांड - अर्थात् ऐसा विलेख जिससे किसी समुद्री जहाज का मास्टर जहाज की जमानत पर रुपये उधार ले जिससे वह जहाज की परिरक्षा कर सके या यात्रा पूरी कर सके।	सुरक्षित राशि या मूल्य के बराबर राशि पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क ।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
17. निरस्तीकरण का विलेख - जिसमें ऐसा कोई विलेख शामिल है जिससे पहले निष्पादित किसी विलेख को निरस्त किया जाये, यदि साक्षांकित हो, और अन्यथा उसका कोई प्रावधान न हो। **देखें-** दस्तबरदारी (क्रमांक (55)]. व्यवस्थापन का निरसन (क्रमांक 58-ख) लीज का त्याग (क्रमांक 61), न्यास का निरसन (क्रमांक 64-खा)।	एक सौ रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
17- का. प्रमाण-पत्र नामांकन का, उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अधीन जारी किया गया।	पाँच सौ रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
17- खा. प्रमाण-पत्र नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटरीज का व्यवसाय करने का, या उसी धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण का पृष्ठांकन ।	दो हजार रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
18. विक्रय का प्रमाणपत्र (उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिये जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई और बेची गई हो) जो	केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23 खण्ड (क) के समान शुल्क।)

किसी न्यायालय, या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलाम से बेचने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलाम से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये।

[परिशिष्ट दो का क्रमांक 129 देखें]

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
19. प्रमाणपत्र या अन्य लेखपत्र - जिससे उसके, धारक या अन्य किसी व्यक्ति का किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित संस्था के शेयर, स्क्रिप या स्टाक का स्वत्व या अधिकार, या ऐसी कम्पनी या संस्था के शेयर, स्क्रिप या स्टाक का स्वामी होना प्रमाणित होता हो, [शेयरों के आबंटन का पत्र (क्रमांक 36) भी देखें]	एक रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
20. चार्टर पार्टी अर्थात् कोई विलेख (टग-स्टीमर के किराये के इकरार के सिवाय) जिससे कोई जलयान या उसका कोई प्रमुख सुनिश्चित अंग चार्टर के सुनिश्चित प्रयोजन के लिये किराये पर दिया जाये, चाहे उसमें दण्ड की शर्त हो या नहीं।	दस रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
21. चेक — 1927 के अधिनियम 5 द्वारा विलोपित ।	

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
22. समझौता पत्र- अर्थात् ऋणी द्वारा निष्पादित विलेख जिससे वह अपने साहूकारों के हित के लिये अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करें, या साहूकारों को उनके ऋण पर समझौते या लाभांश की राशि अदायगी सुरक्षित करें या जिससे साहूकारों के हित के लिये ऋणी के व्यापार को निरीक्षकों के देख-रेख में या लेटर आफ लायसेन्स के अधीन चालू रखने की व्यवस्था करें।	पचास रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
23. हस्तान्तरण पत्र- [धारा 2 (10) द्वारा यथापरिभाषित जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है जिसके लेखे पर संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गयी है-	
(क) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से संबंधित है	
जहाँ ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम, या मूल्य या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, 500 रुपये से अधिक न हो ।	साठ रुपये
जहाँ वह 500 रुपये से अधिक है किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो।	एक सौ पच्चीस रुपये
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक	एक सौ पच्चीस रुपये

1,000 रुपये या उसके भाग के लिए	परन्तु देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा। [शुल्क घटाया गया देखें परिशिष्ट दो का क्रमांक 105]
(ख) यदि वह किसी जंगम सम्पत्ति से संबंधित है, जहाँ ऐसे हस्तान्तरण- पत्र के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य 1,000 रुपये से अधिक न हो	बीस रुपये
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए	बीस रुपये

छूट

भारत के निवासी द्वारा, या भारत में प्रथमतः प्रकाशित संगीत सम्बन्धी कार्यों के प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामले में, जहाँ निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाये या हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहाँ करार को हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

परन्तु धारा 47-क के उपबन्ध ऐसे करार पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगेः

परन्तु यह और कि जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण- पत्र निष्पादित किया जाये तो करार पर भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क हस्तान्तरण-पत्र पर

देय कुल शुल्क के प्रति समायोजित किया जायेगा।	
[23 क. भागिक पालन की प्रकृति के हस्तान्तरण- पत्र- सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53-क के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र में भागिक पालन की प्रकृति की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए संविदाएं सह- **सह-भागीदारी विलेख-** "भागीदारी" (संख्या46) देखिए।	उस शुल्क का नब्बे प्रतिशत जो हस्तान्तरण-पत्र (संख्या 23) पर लगता है.
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
24. प्रति या उद्धरण - जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है-	
(1) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, दस रुपये से अधिक नहीं है:	दस रुपये
(2) किसी अन्य मामले में जो धारा 6-का के उपबन्धों के भीतर न आता हो	दस रुपये
छूटें	
(क) किसी ऐसे कागज पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिये उसे बनाये या दे।	

(ख) जन्म, बपतिस्म, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह विच्छेद, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें किसी उद्धरण की प्रतिलिपि ।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
25. प्रतिलेख या द्वितीय प्रति- किसी विलेख का, जिस पर शुल्क प्रभार्य हो और जिसके लिये उचित शुल्क अदा किया गया हो।	
(क) जब मूल विलेख पर जो शुल्क प्रभार्य है वह पचास रुपये से अधिक न हो।	वही शुल्क जो मूल पर प्रभार्य है।
(ख) अन्य किसी दशा में जो धारा 6-का के प्रावधानों के अन्तर्गत न आता हो।	पचास रुपये
मुक्ति किसी कृषक को दी गई लीज का प्रतिलेख जब लीज शुल्क से मुक्त हो ।	

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
25- का. यह अनुच्छेद 15-11-1971 से अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था और 1978 के अधिनियम संख्या दो से 1-1-1978 से विलोपित किया गया।	

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
26. कस्टम बांड	एक सौ पचास रुपये अधिकतम मानते हुये, बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क ।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
28. माल छुड़ाई का आदेश - अर्थात् ऐसा विलेख जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को, या उसके अभ्यर्पिती को, या उसके धारक को, किसी गोदी, बन्दर पर रखे, या किसी गोदाम में जमा, जहाँ किराया भाड़े पर माल जमा किया जाता है, या किसी नौका घाट पर रखे माल को पाने के लिये अधिकृत करता हो, यदि वह विलेख उस माल के स्वामी द्वारा या उसकी तरफ से माल के स्वामी की बिक्री या अन्तरण पर हस्ताक्षरित किया गया हो- जब माल का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक हो। **स्वत्व पत्रों का निक्षेप-** [देखें स्वत्व पत्रों का निक्षेप आड़ या गिरवी से सम्बन्धित, इकरार, (क्रमांक 6)] | साझेदारी का भंग- [देखें साझेदारी (क्रमांक 46)]	दस रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
29. तलाक-तलाक का विलेख, अर्थात् ऐसा विलेख जिससे कोई व्यक्ति अपने विवाह को भंग करे।	पचास रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
मेहर का विलेख - देखें व्यवस्थापन (क्रमांक 58) **द्वितीय प्रति**-देखें प्रतिलेख (क्रमांक 25)। 30. निकाल दिया गया (देखें 17-क)।	

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
31. सम्पत्ति का विनिमय- का विलेख	उस विलेख में व्यक्त उच्चतम मूल्य की सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क। [परिशिष्ट दो का क्रमांक 129 देखें]

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
32. अतिरिक्त प्रभार- का विलेख, अर्थात् ऐसा विलेख जो बन्धक की गई सम्पत्ति पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित करे-	
(क) जब मूल बन्धक उस प्रकार का हो जिसका उल्लेख अनुच्छेद संख्या 40 के खण्ड (क) में (यानी कब्जा सहित) किया गया है।	उस विलेख द्वारा सुरक्षित अतिरिक्त प्रभार की राशि के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23 खण्ड (क) के समान शुल्क।
(ख) यदि वह बन्धक उस प्रकार का हो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) (यानी बिना कब्जा) में किया गया है।	
(i) यदि अतिरिक्त प्रभार के विलेख के निष्पादन के समय उस विलेख द्वारा सम्पत्ति का कब्जा दिया जाये, या दिये जाने का इकरार हो-	प्रभार की कुल राशि (जिसमें मूल बन्धक और पहले आरोपित अतिरिक्त प्रभार भी शामिल है) के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23 खण्ड (क) के समान शुल्क, उस बन्धक और अतिरिक्त प्रभार पर पहले अदा किये गये शुल्क को मुजरा करके ।
(ii) यदि वैसे कब्जा न दिया जाये।	उस विलेख द्वारा सुरक्षित अतिरिक्त प्रभार की राशि के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
33. दान- का विलेख, जो व्यवस्थापन (क्रमांक 58) या वसीयत या अन्तरण (क्रमांक 62) न हो।	सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क)] के समान शुल्क। [परिशिष्ट दो का क्रमांक 129 देखें]
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
किराये का इकरार या नौकरी का इकरार (क्रमांक 5)	
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
34. क्षतिपूर्ति बांड	उसी राशि के लिये जमानती बांड (क्रमांक 57) के समान शुल्क।
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
इन्सपेक्टरशिप डीड- देखें समझौता पत्र (क्रमांक 22) बीमा- देखें बीमे की पालिसी (क्रमांक 47)	
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
34- का. लिखत- शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में, जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क का कर दिया गया हो, केवल लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिये-	दस रुपये
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
35. लीज, जिसमें शिकमी लीज या उप लीज और किराये पर उठाने या किसी किराये पर देने का इकरार शामिल है-	

(क) जब ऐसी लीज में किराया निश्चित हो और कोई नजराना अदा किया, या दिया गया, न हो-

(i) जब लीज एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत हो;	उस लीज के अधीन अदा होने, या दी जाने वाली, सम्पूर्ण राशि पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क ।
(ii) जब लीज एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत हो;	औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के तीन गुने के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(iii) जब लीज पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दह र र्ष से अनधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत हो;	औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के चार गुने के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] के समान शुल्क।
(iv) जब लीज दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत हो;	औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के पांच गुने के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तांतरण [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] के समान शुल्क।
(v) जब लीज बीस वर्ष से अधिक, किन्तु तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत हो	औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के छह गुने के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(vi) जहाँ कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पति है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण- पत्र [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] पर देय हो।

(ख) जहाँ कि लीज किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है,-

(एक) जहाँ कि लीज तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] पर देय हो।
(दो) जहाँ कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो लीज की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण- पत्र [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] पर देय हो।
(ग) जहाँ कि लीज आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है,-	
(एक) जहाँ कि लीज तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे लीज पर देय होता : परन्तु किसी भी दशा में जब लीज करने का करार लीज के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में लीज तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे लीज पर शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ पटटा किसी भवन या फ्लैट को पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किराये पर उठाने के लिये तत्पति है वहाँ शुल्क न्यूनतम एक सौ रुपये और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुये किराये की सम्पूर्ण धनराशि जो पट्टे की सम्पूर्ण अवधि में दी जायेगी या परिदत्त की जायेगी और नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम, यदि कोई हो, और जो पट्टे में उपवर्णित हो, के दो प्रतिशत की दर पर प्रभार्य होगा और इसे दस रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किया जायेगा।

(दो) जहाँ कि लीज ठोस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है:

वही शुल्क सम्पति के जो लो की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण- पत्र [(क्रमांक 23) खण्ड (क)] पर देय हो।

मुक्ति

काश्तकार के मामले में और कृषि प्रयोजन के लिये, बिना किसी जुर्माने या नजराने की अदायगी किये या दिये, निष्यादित लीज (जिसमें भोजन या पेय के उत्पादन के लिये वृक्षों की लीज भी शामिल है), यदि उसमें निश्चित अवधि व्यक्त हो और वह एक वर्ष से अधिक न हो या जब औसत आरक्षित वार्षिक किराये एक सौ रुपया से अधिक न हो।

इस मुक्ति में कृषि प्रयोजन की लीज में कृषि प्रयोजन के लिये भूमि और साथ

में मकान या तालाब की लीज शामिल होगी।

स्पष्टीकरण

(1) जब लीजग्रहीता ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेश, या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार लीजदाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने का इकरार लीजग्रहीता द्वारा किया गया हो; किराये का भाग समझी जायेगी।

(2) कोई अवधि निश्चित किये बिना माह दर माह या वर्ष दर वर्ष की लीज, या किसी निश्चित अवधि के लिये, लीजग्रहीता को तत्पश्चात् अनिश्चित काल तक बने रहने की शर्त के साथ दी गई लीज, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये ऐसी लीज मानी जायेगी जो किसी निश्चित अवधि के लिये अभिप्रेत न हो।

[परिशिष्ट दो का क्रमांक 110 देखें]

(3) अग्रिम अदा किया गया किराया, इस अनुच्छेद के तात्पर्य से अग्रिम धन माना जायेगा, जब तक कि लीज में यह स्पष्ट प्राविधान न हो कि अग्रिम अदा किया गया धन लीज की अन्तिम किश्त या अन्तिम किश्तों में मुजरा किया जायेगा।

(4) वह सम्पूर्ण राशि जिसके लिये चुंगी लीज पर दी गई हो, चाहे वह एक मुश्त अदा की जाये या किश्तों में, इस

अनुच्छेद के प्रयोजन से नजराना मानी जायेगी।

(5) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए पद 'भवन' और 'फ्लैट' का तात्पर्य वही होगा जो अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख-2) के स्पष्टीकरण (3) में उनके लिये क्रमशः दिया गया है।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
36. शेयरों के आवंटन का पत्र- किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी के शेयरों का, या किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी द्वारा लिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में। प्रमाण पत्र या अन्य लेख- पल (क्रमांक 19) भी देखें।	एक रुपया

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
38. लेटर आफ लाइसेन्स- अर्थात् ऋणी और उसके साहूकारों के बीच ऐसा इकरार कि साहूकार किसी निश्चित समय तक अपने दावों को निलम्बित रखेंगे और ऋणी को अपने विवेकानुसार अपना व्यापार चलाने देंगे।	तीस रुपये

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
38- क. आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति - अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 54 सन् 1959) के उपबन्धों के अधीन आयुध	

या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञति का नवीकरण को साक्षित करने वाला दस्तावेज-	
(क) निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति -	
(1) रिवाल्वर या पिस्टल	दो हजार रुपये
(2) राइफल	एक हजार पाँच सौ रुपये
(3) डी० बी० बी० एल० (आयुध)	एक हजार रुपये
(4) एस० बी० बी० एल० (आयुध)	एक हजार रुपये
(5) एम० एल० (आयुध)	दो सौ रुपये
(ख) आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति	
(1) प्रारूप xi	दस हजार रुपये
(2) प्रारूप xii	दस हजार रुपये
(3) प्रारूप xiii	पाँच हजार रुपये
(4) प्रारूप xiv	तीन हजार रुपये
(ग) निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण-	
(1) रिवाल्वर या पिस्टल	एक हजार रुपये
(2) राइफल	सात सौ पचास रुपये
(3) डी० बी० बी० एल० (आयुध)	पाँच सौ रुपये
(4) एस० बी० बी० एल० (आयुध)	पाँच सौ रुपये
(5) एम० एल० (आयुध)	एक सौ रुपये
(घ) आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञति का नवीकरण-	
(1) प्रारूप xi	तीन हजार रुपये

(2) प्रारूप xii	तीन हजार रुपये
(3) प्रारूप xiii	दो हजार रुपये
(4) प्रारूप xiv	एक हजार रुपये

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
39. कम्पनी का मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन-	
(क) यदि कम्पनीज अधिनियम की धारा 26 के अधीन आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के साथ हो।	पाँच सौ रुपये
(ख) यदि उसके साथ न हो।	एक हजार रुपये
मुक्तियाँ	
ऐसी किसी संस्था का मेमोरेन्डम जो लाभ के लिये न बनाई गई हो और कम्पनीज अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।	

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
40. बन्धक पत्र- जो स्वत्व पत्रों के निक्षेप, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार (क्रमांक 6), बाटमरी बांड (क्रमांक 16), फसल का बन्धक (क्रमांक 41), स्पोन्डेशिया बांड (क्रमांक 56) या जमानती बांड (क्रमांक 57) न हो।	
(क) जब उस पत्र में विहित सम्पत्ति पर, या उसके किसी भाग पर, बन्धककर्ता ने कब्जा दिया हो या देने का इकरार किया हो;	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।

(ख) जब उपरोकानुसार कब्जा न दिया गया हो या देने का इकरार न किया हो।	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।

स्पष्टीकरण

जय बन्धककर्ता बन्धकी की बन्धक की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर किराया वसूल करने के लिए मुख्तारनामा या उस सम्पत्ति की लीज दे तो इस अनुच्छेद के तात्पर्य से वह कब्जा दिया माना जायेगा।

(ग) जब उपरोक्त प्रयोजनों के लिये समपार्श्विक, सहायक अतिरिक्त या प्रतिस्थापित जमानत या अतिरिक्त आश्वासन दिया जाये, तो यदि मुख्य या प्रारम्भिक जमानत यथाविधि स्टाम्पित हो, तो-	
1,000 रु० से अनधिक प्रत्येक सुरक्षित राशि के लिये;	दस रुपये
और 1,000 रु० से अधिक प्रत्येक सुरक्षित राशि 1,000 रु० या उसके भाग पर;	दस रुपये

मुक्तियाँ

(1) लैन्ड इम्प्रूवमेन्ट लोन्स अधिनियम, 1883 या एग्रिकल्चरिस्ट लोन्स, अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जामिनों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की जमानत में निष्पादित विलेख ।	
(2) बिल ऑफ एक्सचेन्ज के साथ दिया गया हाइपोथिकेशन का पत्र।	

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
41. एक फसल का बन्धक - जिसमें वह प्रत्येक विलेख जो फसल के बन्धक द्वारा किसी ऋण की अदायगी की सुरक्षा का इकरार प्रमाणित करता हो, शामिल है, चाहे बन्धक करते समय वह फसल वर्तमान हो या न हो-	
(क) जब ऋण विलेख की तारीख से तीन से अनधिक माह में वापस होना हो-	
6000 रु० से अनधिक सुरक्षित प्रत्येक राशि के लिये	दस रुपये
6000 रु० से अधिक सुरक्षित प्रत्येक 6000 रु० की धनराशि या उसके भाग के लिये।	दस रुपये
(ख) जब ऋण विलेख की तारीख से तीन माह से अधिक किन्तु अठारह से अनधिक माह में वापस होना हो।	
3,000 रु० से अनधिक सुरक्षित धनराशि के लिये।	बीस रुपये
3,000 रु० से अधिक प्रत्येक 3,000 रु० की सुरक्षित धनराशि या उसके भाग के लिये।	बीस रुपये

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
42. नोटरीय कृत्य- अर्थात् किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के पालन में या विधिक रूप से नोटरी पब्लिक का कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया, या हस्ताक्षरित किया	दस रुपये

गया कोई विलेख, पृष्ठांकन नोट, प्रमाणीकरण, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रोटेस्ट (क्रमांक 50) न हो-	
[बिल या नोट प्रोटेस्ट(क्रमांक 50) भी देखें]	

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
43. नोट या ज्ञापन- जो किसी दलाल का एजेन्ट द्वारा अपने मालिक को यह सूचित करने के लिये भेजा जाये कि मालिक के हिसाब में क्रय या विक्रय कर दिया गया है-	
(क) 200 रुपये से अधिक मूल्य के माल का	दस रुपये
(ख) 200 रुपये से अधिक मूल्य के किसी स्टाक या विक्रेय ऋण पत्रों का।	एक हजार रुपये अधिकतम मानते हुए स्टाक या विक्रेय ऋण पत्रों के मूल्य के प्रत्येक 20,000 रुपया या उसके भाग के लिए दस रुपये जो किसी भी दशा में 1,000 रुपया से अधिक न हो।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
44. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट का नोट-	दस रुपये
जहाज के मास्टर का प्रोटेस्ट (क्रमांक 51) भी देखें। धन देने का आदेश [बिल ऑफ एक्सचेंज क्रमांक (13) देखें]	

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
45. विभाजन- विभाजन का विलेख [धारा 2 (15) में यथापरिभाषित] -	सम्पत्ति के पृथकृत भाग या भागों के मूल्य के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।

विशेष ध्यान:-सम्पत्ति के :- विभाजन होने के बाद बच्चा सबसे बड़ा भाग, (या यदि बराबर मूल्य के दो या अधिक भाग हों, जो अन्य किसी भी भाग से छोटे न हों, तो उन बराबर भागों में से एक) वह भाग माना जायेगा जिससे अन्य भाग पृथक किये गये हैं।

परन्तु सदा ही-

(क) जब कोई ऐसा विलेख, जिसमें सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करने का इकरार निष्पादित किया गया हो और उस इकरार के अनुसरण में विभाजन सम्पन्न किया जाये तो उस विभाजन को कार्यान्वित करने वाले विलेख पर या घोषणा या अन्य किसी रूप में, ऐसे विभाजन को शर्तों को लेखबद्ध करने वाले विलेख पर प्रभार्य शुल्क उत्तना कम कर दिया जायेगा जितना प्रथम विलेख पर अदा किया गया हो, परन्तु वह दस रुपये से कम न होगा।

(ख) जब भमि बन्दोबस्ती लगान पर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये उसका मूल्य-

(i) वार्षिक मालगुजारी का बीस गुना और

(ii) जब भूमि पूर्णतया या अंशतः मालगुजारी की अदायगी से मुक्त हो तो, विभाजन की तारीख से पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान भूमि से प्राप्त शुद्ध लाभ का दस गुना माना जायेगा।

(ग) जब किसी राजस्व अधिकरण या किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित विभाजन किये जाने का अन्तिम आदेश या विभाजन निदेशित करने वाला पंच फैसला, विभाजन के विलेख के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित और हो, और उस आदेश या फैसले के अनुसार विभाजन का विलेख बाद में निष्पादित किया जाये तो ऐसे विलेख के लिये शुल्क दस रुपये से अधिक न लगेगा।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
46. (का) साझेदारी का विलेख-	
(क) जब साझेदारी की पूँजी 10,000 रुपये से अनधिक हो।	बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।
(ख) अन्य किसी दशा में	10,000 रुपये पर बांड (क्रमांक15) के समान शुल्क।
(ख)- साझेदारी का भंग	एक सौ रुपये

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
आड़ या गिरवी- देखें स्वत्व पत्रों का निक्षेप, आड़ या गिरवी से संबंधित इकरार (क्रमांक 6)1	
48. मुख्तारनामा (जैसा धारा 2 (21) में परिभाषित है) जो प्रॉक्सी (क्रमांक 52) न हो।	
(क) जब एक, या एक ही सौदे से सम्बन्धित अधिक लेख पत्रों का	दस रुपये

रजिस्ट्रीकरण कराने, या एक या अधिक ऐसे लेख पत्रों का निष्पादन स्वीकार करने के एक मात्र प्रयोजन से निष्पादित हो:	
(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित मामलों से अन्यथा एक व्यक्ति, या अधिक को, एक सौदे में काम करने के लिये अधिकृत करे।	बीस रुपये
(ग) जब पाँच से अधिक व्यक्तियों को एक से अधिक सौदों में, या आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने लिये अधिकृत करे।	पचास रुपये
(घ) जब पाँच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक सौदों में, या आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिये अधिकृत करे।	एक सौ रुपये
(ड.) जब प्रतिफल के उपलक्ष्य में दी जावे और मुख्तार को कोई अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिये अधिकृत करें।	प्रतिफल की राशि के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।
(ङङ) जब मुख्तार को अचल सम्पत्ति का विक्रय करने के लिये अखन्डनीय अधिकार दिया जाये।	ऐसे अधिकार की विषय-वस्तु के बाजारी मूल्य पर हस्तान्तरण(क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।
(च) जब दस व्यक्तियों से अधिक को एक से अधिक सौदों में या आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिये अधिकृत करें।	प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति के लिये दस रुपये।
स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये एक	**विशेष ध्यान-** शब्द में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रीकरण'अधिनियम (1908) का

ही फर्म के एक से अधिक व्यक्ति एक व्यक्ति माने जायेंगे।	सोलहवाँ के अधीन रजिस्ट्रीकरण से प्रासंगिक प्रत्येक क्रिया शामिल हैं।
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
50. बिल या नोट का प्रोटेस्ट- अर्थात नोटरी पब्लिक या उस पद पर विधिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई कोई लिखित घोषणा जिसमें किसी बिल आफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट के नकारने को तसदीक किया गया हो।	दस रुपये
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
51. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट- अर्थात्, हानियों के समायोजन या औसत के आगणन के उद्देश्य से तैयार किये गये जहाज की यात्रा के विवरणों की घोषणा और जहाज के न लादने यान उतारने के लिये चार्टर करने वालों के विरुद्ध की गई प्रत्येक लिखित घोषणा यदि, वह घोषणा नोटरी पब्लिक, या विधिक रूप से उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तस्दीक या प्रमाणित की गई हो। जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट (क्रमांक 44) नोट भी देखें।	दस रुपये
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
54. बन्धक की गई सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण-	

(क) यदि वह प्रतिफल जिसके लिये सम्पत्ति बन्धक की गई थी, 1,000 रु० से अधिक न हो।	प्रति हस्तान्तरण में व्यक्त प्रतिफल की राशि के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।
(ख) अन्य किसी दशा में	1,000 रुपये पर हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
55. दस्तबरदारी- दस्तबरदारी, अर्थात् कोई विलेख, जो वैसी दस्तबरदारी न हो जैसी धारा 23-का में उल्लिखित हैं, जिससे कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति पर या किसी निश्चित सम्पत्ति पर, के दावे को त्याग दे-	
(क) यदि दावे की राशि या मूल्य 2,500 रु० से अधिक न हो।	दस्तजरदारी में व्यक्त उस राशि या मूल्य के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।
(ख) अन्य किसी दशा में	3,000 रुपये पर बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क ।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
56. रेस्पोन्डेशिया बांड- अर्थात् किसी जहाज पर लदे माल से किसी ऋण की जमानत और ऋण की वापसी को माल के गन्तव्य बन्दरगाह पर पहुँच कर समाश्रित करने वाला विलेख। **निरसन-**किसी न्यास या व्यवस्थापन का निरसन [देखें व्यवस्थापन (क्रमांक 58) न्यास(क्रमांक 64)]	सुरक्षित ऋण की राशि के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**

57. जमानती बांड या बन्धक पत्र- किसी पद के यथोचित कार्यपालन या उस नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के उत्तरदायित्व के लिये जमानत के रूप में निष्पादित कोई विलेख या किसी इकरार के यथोचित पालन, या किसी दायित्व के यथोचित निर्वाह के लिये किसी जामिन द्वारा निष्पादित-

(क) जब सुरक्षित किया गया धन 100 रुपये से अधिक न हो।	दस रुपये
(ख) अन्य किसी दशा में।	एक सौ रुपये

मुक्तियाँ

बांड या अन्य विलेख जिसका निष्पादन-

(क) बंगाल इरिगेशन अधिनियम, 1876 की धारा 99 के अनुसार बनाये गये नियमों के अधीन नामित मुखिया द्वारा उस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के यथोचित पालन के लिये किया गया हो।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारन्टी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र, या चिकित्सालय या अन्य सार्वजनिक हित के अन्य कार्य के लिये निजी चन्दे से होने वाली आय प्रतिमास एक निश्चित राशि से कम न होगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बम्बई इरिगेशन अधिनियम, 1879 की धारा 70 के अनुसार बनाये गये नियमों के क्रमांक 3-क के अधीन किया गया हो।

(घ) लैण्ड इम्प्रूवमेन्ट लोन्स अधिनियम, 1883 या एग्रिकल- चरिष्ट्स लोन्स अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जमानतियों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की जमानत के लिये किया गया हो।

(ड) सरकारी अफसरों या उनके जमानतियों द्वारा किसी पद का यथोचित कार्यपालन, या उसके नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति का यथोचित उत्तरदायित्व सुरक्षित करने के लिये किया गया हो।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
58. व्यवस्थापन-का- का विलेख (जिसमें मेहर का लेख पत्र भी शामिल है)।	व्यवस्थापित सम्पत्ति की राशि या मूल्य के बराबर धनराशि के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क। परन्तु यदि व्यवस्थापन का इकरार उतने स्टाम्प से स्टाम्पित हो जो व्यवस्थापन के विलेख के लिये चाहिये था और इस इकरार के अनुसरण में बाद में व्यवस्थापन का विलेख निष्पादित किया जाये तो ऐसे विलेख पर शुल्क दस रुपये से अधिक न होगा।
मुक्ति मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर निष्पादित मेहर का लेख पत्र ।	
खा- का निरसन न्यास (क्रमांक 64) भी देखें।	सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि या मूल्य के बराबर धनराशि के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क, किन्तु पचास रुपये से अधिक नहीं।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
59. शेयर वारन्ट- धारक को, इन्डियन	वारन्ट में निर्दिष्ट शेयरों में अंकित राशि

कम्पनोज अधिनियम, 1913 के अधीन जारी किया गया:

के बराबर प्रत्यक्ष राशि के लिये सौंप देने से अन्तरणीय डिबेंचर [क्रमांक 27 (ख)] के समान शुल्क।

मुक्तियाँ

किसी कम्पनी द्वारा इन्डियन कम्पनीज अधिनियम, 1913 की धारा 43 के अनुसार जारी किये गये शेयर वारन्ट जो उसी दशा में लागू - होगा जब स्टाम्प राजस्व के कलेक्टर को, उस शुल्क के समझौते के रूप में-

(क) कम्पनी को अभिदत्त पूँजी का डेढ़ प्रतिशत या

(ख) यदि किसी कम्पनी ने वह शुल्क या समझौते की राशि पूर्ण रूपेण अदा कर दी हो; और वह बाद में अपनी अभिदत्त पूँजी में वृद्धि करे तो अतिरिक्त जारी की गई पूँजी का डेढ़ प्रतिशत अदा कर दिया जाये।

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
स्क्रिप- देखें प्रमाण पत्र (क्रमांक 19)।	
60. जहाजरानी आदेश-किसी जलयान पर माल ढोने के लिये, या से सम्बन्धित ।	दस रुपये

विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
61. लीज का अभित्याग-	वही शुल्क जो 1000 रुपये के बन्धपत्र (संख्या 15) पर लगता है या वह शुल्क

	जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है, इनमें जो भी कम हो : परन्तु देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
मुक्ति	
लीज का अभित्याग, जब वह लीज शुल्क से मुक्त हो।	
विलेख का प्रकार	**उचित स्टाम्प शुल्क**
62. अन्तरण- (चाहे प्रतिफल से या बिना प्रतिफल के)	
(क) देखें अनुसूची एक- का।	
(ख) **डिबेंचरों का-** जो विक्रेय ऋण-पत्र हो, चाहे डिबेंचर पर शुल्क देय हो या नहीं-धारा 8 में उल्लिखित डिबेंचरों को छोड़कर।	
जब शेयर का मूल्य या डिबेंचर पर अंकित राशि 500 रुपये से अधिक न हो	दस रुपये
जब वह 500 रुपये से अधिक, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो	बीस रुपये
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिये।	दस रुपये
(ग) बांड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी द्वारा सुरक्षित किसी हित का-	
(1) यदि ऐसे बांड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक न हो तो।	वही शुल्क जो उस बांड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी पर प्रभार्य था। परन्तु देय शुल्क के दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
(2) अन्य किसी दशा में	एक सौ रुपये किन्तु यदि किसी एक लिखत द्वारा कई

	बन्ध-पत्रों, बन्धक विलेखों या बीमा पालिसियों द्वारा सुरक्षित स्वत्व अन्तरित किया जाये तो उस विलेख के लिये देय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा जो उस दशा में देय होता जब प्रत्येक ऐसे बांड, बन्धक पत्र, या बीमा पालिसी के अन्तरण के लिये अलग विलेख निष्पादित किया जाये। परन्तु यह और है कि देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा
(घ) एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के अधिनियम, 1913 की धारा 25 के अधीन किसी सम्पत्ति का-	एक सौ रुपये
(ड) न्यास सम्पत्ति का बिना किसी सत्तर रुपये प्रतिफल के, एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या न्यासी से लाभाग्राही को-	

मुक्तियाँ

पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण-

(क) बिल आफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमेसरी नोट का;

(ख) बिल आफ लेडिंग, माल छुड़ाई का आदेश, माल का वारन्ट या माल पर स्वत्व के किसी अन्य व्यावसायिक लेख-पत्र का;

(ग) बीमा पालिसी का;

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऋण पत्रों का।

[धारा 8 भी देखें]

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
63. लीज का अन्तरण- अभ्यर्पण के रूप में, न कि शिकमी लीज के रूप में।	अन्तरण के प्रतिफल की राशि के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।
मुक्ति उस लीज का अन्तरण जो शुल्क से मुक्त हो।	

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
64. न्यास-	
का- की घोषणा- किसी सम्पत्ति का, या सम्पत्ति संबंधित, जो किसी लिखत द्वारा की गई हो और जो वसीयत न हो।	
(क) जब मूल्य या राशि 10,000 रुपये से अधिक न हो	बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क
(ख) जब वह राशि 10,000 रुपये से अधिक हो	दस हजार रुपये पर वह शुल्क जो खण्ड (क) के अधीन देय है; और बाकी पर प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके भाग के लिये दस रुपये
खा- का निरसन-किसी सम्पत्ति का, या सम्पत्ति से संबन्धित, जो वसीयत से अन्यथा किसी बिलेख द्वारा किया जाये, व्यवस्थापन (क्रमांक 58) भी देखें।	सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि, या मूल्य के बराबर धनराशि के लिये बांड (क्रमांक 15) के समान शुल्क - परन्तु 2,000 रु० के बांड (क्रमांक 15) पर देय शुल्क से अधिक नहीं।

विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
मूल्यांकन - देखें दशा आंकना (क्रमांक 8) **वकील**- देखें प्रमाण-पत्र (क्रमांक 17-क)	
65. माल का वारन्ट- अर्थात् कोई विलेख	दस रुपये

- जिससे उसमें नामित किसी व्यक्ति का, या उसके अभ्यर्पिती या धारक का, किसी काल में, जो किसी गोदी, घाट या गोदाम में रखा हो, स्वामित्व प्रमाणित होता हो, यदि ऐसा विलेख उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से, जिसके तहत वह माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो।